	मूल पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06/09/23 को पेश हुई।	श्रीमान्, सहायक निबंधक पालक दे.पु.समिति 12/9/23
06/09/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि इजराय प्रार्थित पत्र की निर्णित की पालना हो चुकी है। पत्रावली की प्रति संलग्न है। प्रकरण प्रार्थित पत्र इजराय की पालना पूर्ण हो चुकी है। केस में प्रार्थित पत्र इजराय के पत्रावली का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थित पत्र इजराय का खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती पत्र खारिज हो। वकील प्रार्थी के कथन अनुसार हिसाबात नगद हो चुका है। वकील प्रार्थी दिनांक 06/9/2023 को पेश हो। आदेश हो।	